संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्र. अ–2–3/यूडी /पदो/स्था./404–14/ 2194 भोपाल दिनांक 2/6/14

:: आदेश ::

दिनांक 9.5.14 को कृषि विकास अधिकारी से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक संपन्न हुई । जिसमें डी.पी.सी. दिनांक23.8.12 एवं 26.7.13 में गोपनीय चरित्रावली उपलब्ध न होने से अपेक्षित की सूची में रखे गये एवं विभागीय जांच प्रचलित होने से बंद लिफाफा की सूची में रखे गये कृषि विकास अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली उपलब्ध होने एवं विभागीय जांच समाप्त होने से उपयुक्त किये जाने पर उनके कनिष्ठ के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति के दिनांक से काम नहीं दाम नहीं के सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित कृषि विकास अधिकारियो को अस्थाई रूप से अन्य आगामी आदेश तक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के पद पर वेतनमान रूपये 5500–175–9000 (पुनरीक्षित वेतन बैंड रूपये 9300–34800 रूपये 3600 ग्रेड पे) में निम्नलिखित शर्तो पर पदोन्नत कर पदस्थ किया जाता है। पदोन्नति पद पर उपस्थित होने के दिनांक से वेतन की पात्रता होगी । ।वेतन निर्धारण नियमानुसार होगा परंतु वेतन भत्तों के ऐरियर की पात्रता नहीं होगी :–

1 यदि यह पाया गया है कि पदोन्नत किये गये कर्मचारी से वरिष्ठ कोई कर्मचारी किसी कारणवश पदोन्नत नही हो पाया है, तो नियमानुसार वरिष्ठता निर्धारण कर कनिष्ठ व्यक्ति को पदावनत किया जा सकता है।

2 जिस जिले/संभाग में इस आदेश से प्रभावित कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत है, उस संभाग/जिले के संयुक्त संचालक कृषि/उप संचालक कृषि को यह देखना होगा कि कर्मचारी के विरूद्व कोई निलंबन/अभियोजन प्रताड़ना अथवा विभागीय जांच लंबित तो नही है । यदि किसी प्रकरण मे विभागीय जांच लंबित हो या विभागीय जांच का निर्णय जिसमें पदोन्नति प्रभावित होती है तो यह पदोन्नति निरस्त मानकर यह आदेश वितरित नही किया जावे तथा संबंधित व्यक्ति का आदेश संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र.भोपाल को मूलतः वापस करें । विभागीय जांच के निर्णय या दण्ड अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रकरण पर पुनर्विचार किया जावेगा ।

3 पदोन्नत कर्मचारी उस जिले/संभाग मे कार्यरत नही है, जहां की आदेश मे दर्शाया गया है तो आदेश को उस संभाग/जिले के संयुक्त संचालक कृषि/उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास को भेजा जावे जहां वह कार्यरत है।

4 पदोन्नत कर्मचारी का विवरण का मिलान उसके व्यक्तिगत अभिलेखों से मिलान करने के उपरान्त ही आदेश वितरित किये जावे तथा विवरण में अंतर हो तो संबंधित को आदेश वितरित न करते हुये संचालनालय को विवरण सहित वापिस लौटावे ।

5 यदि कोई कृषि विकास अधिकारी पूर्व में पदोन्नत हो चुका हो/मृत्यु हुई हो/त्याग–पत्र दिया गया हो/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गया हो तो उसके संबंध मे पूर्ण जानकारी सहित आदेश मूलतः वापस लौटावें।

ado-sado adesh

6 इस पदोन्नति आदेश के जारी होने के दिनांक से 1 माह के अंदर अपने पदोन्नति स्थान पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह आदेश ऐसी स्थिति में निष्प्रभावी माना जावेगा ।

7 जिस कार्यालय के अधीन पदोन्नत कर्मचारी कार्यभार ग्रहण करेगे, वहां के कार्यालय उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से शीघ्र संचालनालय को अवगत करावेगें ।

8 प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा निम्नानुसार पदोन्नतियों में मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम–1994 (क्रमांक–21 सन् 1994) तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधो का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा– 6 की उपधारा –1 के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है ।

9 पदोन्नति आदेश प्राप्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण हेतु विकल्प प्रस्तुत किया जावेगा । एक माह पश्चात दिया गया विकल्प मान्य नही होगा ।

स. क	वरि. कमांक 1.4.13	कर्मचारी / अधिकारी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	जन्म तिथि	गृह वि. खं. / तह. / जिला	वर्तमान पद स्थापना जिला	पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना	कनिष्ठ का पदोन्नति आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	14	श्री ओमवीर सिंह भदोरिया (सामान्य)	कृषि स्नातकोत्तर	5.7.66	गोहद / भिण्ड	मंदसौर	उर्व. गुण. नियं. प्रयो. उज्जैन	अ–2–3 / यू डी / पदो. / 378–12 / 6279–80 दि. 19.11.12
2	19	श्री अमृतलाल शर्मा (सामान्य)	कृषि स्नातक	1.3.62	भिण्ड / भिण्ड	जबलपुर	उर्व. गुण. नियं. प्रयो. सागर	अ–2–3 / यू डी / पदो. / 392–13 / 4440–41 दि. 18.9.13
3	35	श्री बी. पी. सिंह (सामान्य)	कृषि स्नातकोत्तर	10.1.65	रायपुर कर्च्चुलियान / रीवा	सतना	बीज परी. प्रयो. रीवा	अ–2–3 / यू डी / पदो. / 392–13 / 4440–41 दि. 18.9.13

संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

ado-sado adesh

पृ.क्र.अ–2–3/यूडी /पदो/स्था./404–14/2195 भोपाल दिनांक 2/6/14

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1 विशेष सहायक, मा.मंत्रीजी म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृ.षे विकास विभाग, भोपाल एकल नस्ती टीप कमांक 321 दिनांक 31.05.14 के सन्दर्भ में ।

2 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,मंत्रालय, भोपाल ।

3 संयुक्त संचालक (बजट) संचालनालयीन म.प्र. भोपाल ।

4 संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग ....म.प्र. ।

5 उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला ....म.प्र. ।

6\. सहायक संचालक आहरण/वितरण/वेतन पटल/सेवापुस्तिका पटल संचालनालय भोपाल ।

7\. सहायक रसायन विशेषज्ञ उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला प्रयोगशाला ....म.प्र.।

8\. संबंधित श्री ———————————— कृषि विकास अधिकारी द्वारा अनुकमांक 6

9\. आदेश नस्ती

अपर संचालक कृषि(स्था0)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म.प्र. भोपाल

ado-sado adesh